न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी– *अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.*

राजस्व अपील संख्या 574/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राघुदास पुत्र जीमनदास निवासी– बासनी हरिसिंह, वाया आसोप, तहसील भोपालगढ, जोधपुर।		1. जिला कलेक्टर, जोधपुर। 2. तहसीलदार, भोपालगढ।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा–75 (क), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प.12 (3)राज/आवंट/1698–1704 दिनांक 27.03.2003 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री एस0डी0 वैष्णव, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नवलसिंह दहिया राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–28 मार्च, 2024

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प.12 (3)राज/आवंट/1698–1704 दिनांक 27.03.2003 को जारी किये गये पत्र एवं तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक भू0अ0/डोली बनाम मंदिर/2009/3693–75 दिनांक 9.10.2009 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय में दिनांक 24.02.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपील को सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु किये गये कथनों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि मौजा बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ के कृषि भूमि ख0सं0 111, 323, 521, 524 कुल 04 खसरान की 49 बीघा 05 बिस्वा भूमि सम्वत 2011 व इसके पूर्व से खातेदार के रूप में जीमनदास वल्द हरिदास अपीलान्ट के पिता के नाम से चली आ रही थी जिसकी फौतेदगी से उक्त खसरान की खातेदारी उत्तराधिकारी के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रूप में राघुदास पुत्र जीमनदास के नाम से नामा0 दर्ज किया गया। उक्त कृ
भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2020 व इसके बाद से कृषक खातेदार व
रूप में उनके पूर्वज के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही थी तथा पटटा ठिकान
जीमनदास के नाम से जारी हो रखा था।

4. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि राज्य सरकार के शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर के आदेश प.12 (22)/देव/91 दिनांक 7.3.2003 को जारी परिपत्र/आदेश की पालना में जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त पत्र कमांक प.12(3)राज/आंव/1698–1704 दिनांकं 27.3.2003 की पालना में तहसीलदार भोपालगढ के उपरोक्त आदेश भू0अ0/डोली बनाम मंदिर/2009/3693–3755 दिनाक 9.10.09 की मार्फत पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की उक्त खातेदारी युक्त कृषि भूमि में बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर एवं सूचना दिये ही तथा बिना नामान्तरकरण की कार्यवाही के राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह नोट का इन्द्राज कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित एवं विधि विरूद्ध इन्द्राज किया गया। इससे अपीलान्ट के खातेदारी हितों पर पूर्ण रूप से विपरित प्रभाव पडा।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलान्ट की उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में इस प्रकार से परिवर्तन करने का कोई अधिकार जिला कलेक्टर, तहसीलदार व पटवारी हल्का को नहीं है। लिहाजा इन अधिकारियान के द्वारा गैरकानूनी रूप से बिना अपीलान्ट को सूचित किये ही जमाबन्दी में मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह इन्द्राज कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि उक्त कृषि भूमि जागीरी अधिग्रहण अधिनियम 1952 व इससे पूर्व एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व से ही राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी और उस समय से ही मंदिरों को जागीरदार माना गया है एवं जागीर अधिनियम की धारा 9 व 10 तथा आरटी एक्ट की धारा 15 (1) के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार प्रापत करने का हक है। इसी प्रकार आरटी एक्ट की धारा 12 (4) के तहत मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह जो खुदकाश्त के धारक थे, के अलावा व्यक्ति अपीलार्थी जो खुदकाश्त के उपअभिधारी के रूप में अभिलिखित थे, खातेदार रहे है, जिसके कारण उक्त खातेदारी का राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और नही अन्य किसी प्रकार का अंकन किया जा सकता है। उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अधिनियमों के तहत भी इन राजस्व अधिकारियों को इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु किसी प्रकार से अधिकृत नहीं किया गया है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करते हुए मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह इन्द्राज कर दिया जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है।

7. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि उक्त प्रकरण आरटी एक्ट की धारा 5 (43) में अन्तर्विष्ट अभिधारी की परिभाषा के विहित भाग में आता है जैसा कि आरटी एक्ट की धारा 5 (43)(छ) में अन्तर्विष्ट है। इस प्रकार अपीलार्थी पूर्व से लेकर आजदिन तक अभिधारी है। अपीलार्थी को उक्त कृषि भूमि उनके पूर्वजों को परिवार के भरणपोषण व जीवनयापन के प्रयोजनार्थ विधि अनुसार पटटे पर प्रदान की गई थी जो आजदिन तक अपीलार्थी के कब्जाकाश्त में है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 16 (क), 19(1 क) के प्रावधानों के अनुसार मंदिर मूर्ति की माफी रिज्यूम हो जाने पर राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदार काश्तकार स्वतःखातेदार बन गये। इन अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम दिसम्बर 1969 की 31 तारीख को उस समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में खुदकाश्त के अभिधारी या उप अभिधारी के रूप में दर्ज था या इस प्रकार दर्ज नहीं था वह भी खातेदार अभिधारी हो जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णय नजीरो यथा आरएलआर, 2000(1) पेज 69, पेज 595, आरआरटी, 2011 (1), पेज 174, डीएनजे, 2000 पेज 528, एसबीसी रिट संख्या 12146/2013, 8136/2009, 5755/2011, 12409/2013 निर्णय दिनांक 2.11.2017 इत्यादि में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। अतः इन आधारों पर भी राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

8. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह कथन किया कि राज0 सरकार के देवस्थान विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 7.3.2003 के पैरा (ख) में भी यह स्पष्ट किया गया है कि जो दिनांक 31.12.69 से पूर्व राजस्व रेकर्ड में सहकृषक दर्ज थे तथा जब से सम्बन्धित भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अतः उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद भी अपीलार्थी खातेदार अभिधारीगण के राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर दिया गया है जो विधि विरूद्ध है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों/आर्ब्जेवेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलार्थी की खातेदारी वाली कृषि भूमि के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग, जयपुर के द्वारा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जारी परिपत्र की पालना में जिला कलेक्टर जोधपुर व तहसीलदार भोपालगढ की ओर से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में किये गये अंकन/इन्द्राज को पुनः दुरूस्त करते हुए अपीलार्थी का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

9. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील का विरोध करते हुए यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी वाली कृषि भूमि के सम्बन्ध में जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवर्तन किये गये है वह पूर्ण रूप से नियमों की पालना में तथा उक्त परिपत्र में मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क होने के कारण मंदिर भूमि की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध होने के कारण मंदिर भूमि का अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी दिया जाना विधि विपरित होना माना है तथा इस प्रकार के हस्तान्तरणों की भू अभिलेख में प्रविष्टियां विलोपित कर पूर्ववत प्रविष्टिया अंकित किये जाने हेतु राज्य सरकार के निर्देशों में ही पटवारी हल्का द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलार्थी के नाम मंदिर भूमि की दर्ज की गई खातेदारी को विलोपित करते हुए पुनः गंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह दर्ज की गई है जो उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें।

10. हमने पक्षाकारान अभिभाषक के द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध अभिलेख, निर्णय नजीरों का गहनतापूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2061–2064 की छायाप्रति का अवलोकन किया जिसमें शासन सचिव देवस्थान विभाग, जयपुर के आदेश प.12 (22)/देव/91 दिनांक 7.3.2003 तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक प.12 (3)राज/आवंटन/1698–1704 दिनांक 27.03.2003 एवं तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा जारी आदेश कमांक भू0अ0/डोली बनाम मंदिर/2009/3693–75 दिनांक 9.10.2009 की पालना में वादग्रस्त खसरा संख्या 111, 323, 521 व 524 रकबा 49.05 बीघा भूमि को डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह दर्ज किया गया हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई खतौदी बन्दोबस्त की छायाप्रति का अवलोकन किया जिसमें खाता संख्या 155 में डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह बरा तमाम पुजारी जीवणदास वल्द हरीदास कौम साद सा. देह डोलीदार अंकित किया हुआ है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

11. राज्य सरकार के देवस्थान विभाग जयपुर की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 27.3.2003 में स्पष्ट रूप से यह अंकित करते हुए निर्देशित किया हुआ हैं कि मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि शाश्वत अव्यस्क होने के कारण मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध है ऐसे में तत्सम्बन्धी पूर्व में किये हस्तान्तरणों को विलोपित कर पूर्ववत प्रविष्टियां राजस्व रेकर्ड में अंकित की जावे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर जोधपुर, तहसीलदार भोपालगढ एवं पटवारी हल्का द्वारा जो अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित की गई है, वह राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसरण में सम्पादित की गई है।

12. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशो/निर्देशों के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाली अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालयों को नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अपनी अपील में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि जिला कलेक्टर अथवा तहसीलदार के द्वारा की गई राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 (क) के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त को है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि जिला कलेक्टर, जोधपुर एवं तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा की गई अपीलाधीन कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है जिससे उक्त आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुजांइश हो।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/03/24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर